बिहार सरकार

समाहरणालय, कैमूर (भभुआ)

(कल्याण शाखा)

Ph. No.-06189-223241(O)
Fax No.-06189-223301
Email- dwo-bha-bih@nic.in

-:अल्पकालीन निविदा सूचना:-

निविदा संख्या-01/2021-22

कैमूर जिला अंर्तगत संचालित अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति आवासीय उच्च/मध्य विद्यालय, भभुआ, कुदरा, देवरी, बडगॉवखूर्द, सेमरा, मसानी, कोल्हुआ, आधन एवं सड़की में शैक्षणिक सत्र-2021-22 के लिए अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भोजनादि की व्यवस्था हेतु मुहरबन्द लिफाफे में सिर्फ भारतीय डाक (स्पीड पोस्ट/रजिस्टर्ड) के माध्यम से इस प्रकार आमंत्रित की जाती है कि वह जिला कल्याण पदाधिकारी, जिला कल्याण कार्यालय, कैमूर-821101 में दिनांक- 27/01/2021 के अपराह्न 5:00 बजे तक पहुँच जाए। निविदा दिनांक- 29/01/2021 को 11:00 बजे पूर्वाह्न/~~अपराह्न~~ में अधोहस्ताक्षरी की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति के समक्ष खोली जायेगी। निविदा खोलने के समय निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित रहेंगे। इस निविदा के संबंध में पूरी जानकारी जिले के NIC के वेबसाईट https://kaimur.nic.in से प्राप्त की जा सकती है। इस संबंध में जिला कल्याण कार्यालय से सम्पर्क कर भी विशेष जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

निविदा का आवश्यक शर्तें-

1. विभाग द्वारा निर्धारित मिनू के अनुसार सभी आवासीय विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को भोजन/नास्ता दिया जाना है। जिसके लिए 2300/-(दो हजार तीन सौ) रूपये प्रति छात्र प्रतिमाह वर्ग-1 से वर्ग-12 तक GST सहित निर्धारित है। उक्त राशि में ही संबंधित आपूर्तिकर्त्ता/निविदादाता को खाना बनाने वाले कर्मियों एवं परिवहन पर व्यय तथा खाना बनाने का ईंधन सभी सम्मिलित है। इसके लिए अलग से राशि देय नहीं होगी। विद्यालय द्वारा केवल भोजन एवं नास्ता बनाने के लिए बर्त्तन की व्यवस्था की जायेगी। इसके अतिरिक्त वर्ष मे चार बार गणतंत्र दिवस, सरस्वती पूजा, अम्बेदकर जयंती एवं स्वतंत्रता दिवस को विशेष भोजन देने का प्रावधान है। इसके लिए अलग से 25/-रूपये प्रति छात्र दिया जायेगा।

2. विभागीय पत्रांक-1631, दिनांक-27.08.2020 द्वारा प्रतिदिन का मिनू निम्न प्रकार निर्धारित है:-

क्र0	वार	सुबह में पी0टी0 के पहले	सुबह का नास्ता	दोपहर का भोजन	संध्या का नास्ता	रात्रि का भोजन
1	2	3	4	5	6	7
1	सोमवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50 ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)	चावल, दाल, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)	समोसा-2 एवं चटनी	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं खीर (आटा-100 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं दूध-100 ग्राम+चावल-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)
2	मंगलवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल-50 ग्राम+काबुली चना-50 ग्राम)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (आटा-100 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)

3	बुधवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50 ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)	चावल, दाल, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)	चाकलेट+ बिस्कुट-2 पीस	रोटी, अण्डा करी/सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं खीर (आटा-100 ग्राम+अण्डा-1/सब्जी-150 ग्राम एव दूध-100 ग्राम+चावल-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)
4	बृहस्पतिवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं अण्डा (आटा-50 ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+अण्डा उबला-1)	चावल, दाल, सब्जी (आलू भुजिया) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, आलू-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)	समोसा-2 एवं चटनी	चावल, दाल, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)
5	शुक्रवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं दूध (आटा-50 ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)	चावल, दाल, बेसन की सब्जी (आलू+भुजिया) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, बेसन-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर-100 ग्राम+पनीर-50 ग्राम) एवं सेवई (आटा-100 ग्राम एव दूध-100 ग्राम+सेवई-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)
6	शनिवार	अंकुरित मूंग (खड़ा मूंग-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुलाव+छोला (चावल-50 ग्राम+काबुली चना-50 ग्राम)	चावल, दाल, सब्जी (आलू+मौसमी सब्जी) एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, सब्जी-150 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)	चाकलेट+ बिस्कुट-2 पीस	खिचड़ी, चोखा एवं पापड़ (चावल-100 ग्राम, दाल-50 ग्राम आलू-150 ग्राम एवं पापड़-1 मध्यम साईज का)
7	रविवार	अंकुरित चना (खड़ा चना-40 ग्राम का अंकुरण) एवं गुड-20 ग्राम	पुरी (मध्यम साईज-4) सब्जी एवं अण्डा (आटा-50 ग्राम+रिफाईण्ड-20 एम0एल0, सब्जी-150 ग्राम+अण्डा उबला-1)	चावल, दाल, चिकेन/मटन/ मछली/पनीर एवं सलाद (चावल-100 ग्राम, दाल-40 ग्राम, चिकेन/मटन/ मछली/पनीर/ सब्जी-100 ग्राम एवं सलाद-50 ग्राम)	मौसमी फल (150 ग्राम)	रोटी, मटर पनीर की सब्जी (मटर-100 ग्राम+पनीर-50 ग्राम) एवं सेवई (आटा-100 ग्राम एवं दूध-100 ग्राम+सेवई-25 ग्राम+चीनी-30 ग्राम)

3. निविदादाता को मिनू के अनुसार नास्ता एवं भोजन देने का कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा निर्गत शपथ पत्र संलग्न करना होगा।

4. निविदा में संबंधित आपूर्तिकर्त्ता निबंधित गैर सरकारी संस्थान एवं स्वयं सहायता समूह भी भाग ले सकते है।

5. निविदा के साथ प्रत्येक मध्य विद्यालय के लिए अलग-अलग मो0-1,00,000/-(एक लाख) रूपये मात्र का बैंक ड्राफ्ट (किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक द्वारा निर्गत) जिला कल्याण पदाधिकारी, कैमूर के पदनाम से अग्रधन के रूप में संलग्न करना आवश्यक होगा।

6. निविदादाता को मेस संचालन का कम-से-कम तीन वर्षो का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।

7. निविदादाता/फर्म को G.S.T., Food Licence, Labour Registration, जिला से निर्गत आचरण प्रमाण पत्र, आधार नम्बर एवं आयकर (Pan Number के साथ) में निबंधित होने का प्रमाण पत्र के साथ वाणिज्य कर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न होना चाहिए।

8. संबंधित निविदाकर्त्ता को अपने फर्म का विगत तीन वर्षो का आयकर रिर्टन (Assessment Year-2018-19, 2019-20, 2020-21) की कॉपी की छाया प्रति संलग्न करना होगा।

9. कैमूर जिला अन्तर्गत अनुसूचित जाति एव अनुसूचित जनजाति आवासीय उच्च/मध्य विद्यालयों की सूची संलग्न किया गया है।

10. निविदा को स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति के पास सुरक्षित होगा। बिना कारण दर्शाये किसी भी समय निविदा को रद्द किया जा सकता है।

11. यह निविदा वित्तीय वर्ष-2021-22 के लिए अथवा अगले क्रय समिति के निर्णय तक वैध होगा।

12. काली सूची में दर्ज नहीं होने का एवं किसी न्यायालय में किसी प्रकार का मामला लंबित न हो या दंडित न हुए हों के संबंध में शपथ-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा।

13. संबंधित निविदाकर्त्ता का अपना चरित्र प्रमाण-पत्र जो कि संबंधित निविदादाता के गृह जिले के जिला पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो संलग्न करना अनिवार्य होगा।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

उप विकास आयुक्त,
कैमूर (भभुआ)।

ज्ञापांक 2375/क0, दिनांक 21/12/2020

प्रतिलिपिः- समिति के सभी सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- उप निदेशक कल्याण, पटना प्रमंडल पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- निदेशक, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- जिलाधिकारी, कैमूर को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः- सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, बिहार पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला कल्याण पदाधिकारी,
कैमूर (भभुआ)।

उप विकास आयुक्त,
कैमूर (भभुआ)।